Ph.No. 0151 - 2540028 (O)
2549348 (Fax)
regrajuvas@gmail.com

RAJASTHAN UNIVERSITY OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES, BIKANER

No: F. (100)/ RAJUVAS /Reg./Gen /2016/ 306 Dated: 18-5-16

....

माननीय सदस्य,
प्रबंध मण्डल

विषयः—विश्वविद्यालय प्रबंध मण्डल (Board of Management) की बैठक का कार्यवाही विवरण।

महोदय / महोदया,

राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर की प्रबंध मण्डल (Board of Management) की सोलहवीं बैठक शनिवार दिनांक 16.04.2016 को आयोजित की गई थी, का कार्यवाही विवरण इस पत्र के सलंग्न अवलोकनार्थ प्रेषित है।

सलंग्नः— उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(पी.एस. बिश्नोई)
कुलसचिव

राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर

प्रबंध मण्डल की बैठक दिनांक 16.04.2016 का कार्यवाही विवरण

एजेण्डा सं.	प्रस्ताव एवं कार्यवाही	निर्णय
16/ए	विश्वविद्यालय द्वारा अब तक की गई प्रगति का संक्षिप्त विवरण मौखिक रूप से माननीय कुलपति द्वारा सदन में प्रस्तुत किया जाना।	माननीय कुलपति डॉ. ए.के. गहलोत द्वारा विश्वविद्यालय की प्रगति से अवगत करवाया गया।
16/बी	राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 24 (2) के प्रावधानों अनुसार कुलपति के चयन हेतु विचयन समिति (Search Committee) के लिए विशेषज्ञ के नाम की अनुशंषा हेतु।	राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 24 (2) के प्रावधानों अनुसार कुलपति के चयन हेतु विचयन समिति के लिए प्रबंध मण्डल द्वारा विशेषज्ञ के रूप में किसी एक सदस्य को नामित करने का प्रावधान हैं अतः विशेषज्ञ का नाम सुझाने हेतु सर्वसम्मति से डॉ. ए.के. गहलोत माननीय कुलपति, राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर को अधिकृत करने का निर्णय लिया एवं सदस्य का नाम पूर्ण विशिष्टियों सहित राजभवन को अवगत करवा दिया जावे। (Action V.C./Registrar)
16/सी	प्रबंध मंडल की गत बैठक दिनांक 31.08.2015 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।	प्रबंध मण्डल की 15 वीं बैठक के एजेण्डा 15/आई में वर्णित कार्यवाही विवरण एवं 15/पी में उच्चाधिकार समिती के प्रकरण सं. 06 के कार्यवाही विवरण को छोड़कर शेष एजेण्डा से संबंधित कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया। एजेण्डा 15/आई में वर्णित कार्यवाही विवरण एवं 15/पी में वर्णित उच्चाधिकार समिती के प्रकरण सं. 06 से संबंधित प्रकरण राज्य सरकार के नियमों के परिप्रेक्ष्य में विधिक परीक्षणाधीन है अतः इन एजेण्डा एवं इसके संबंध में लिए गए निर्णय के संबंध में अंतिम रूप निर्णय लिए जाने तक आस्थगित किए जाने का सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया। इसके साथ ही सदन द्वारा एजेण्डा 15/एस एवं 15/वी की कार्यवाही विवरण का निर्देशों के साथ अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया। (Action Registrar/Comptroller/Dean & F.C.)
16/डी	प्रबंध मंडल की बैठक दिनांक 31.08.2015 की कार्यवाही की पालना रिपोर्ट के अनुमोदन पर प्रस्ताव।	प्रबंध मण्डल की बैठक दिनांक 31.08.2015 की कार्यवाही की पालना रिपोर्ट का इस टिप्पणी के साथ अनुमोदन किया गया कि एजेण्डा 15/आई की पालना में जारी आदेश क्रमांक एफ. (33)राजुवास/रजि./स्था./2015/59 दिनांक 09.02.2016 एवं एफ(32)/राजुवास/रजि./स्था./2015/612 दिनांक 17.10.2015 एवं 15/पी में वर्णित उच्चाधिकार समिति के प्रकरण सं. 06 के संबंध में लिए गए निर्णय की पालना में जारी पत्र क्रमांकः एफ(64)/राजुवास/रजि./स्था/2015/ 644 दिनांक 16.11.2015 राज्य सरकार के नियमों के परिप्रेक्ष्य में विधिक परीक्षणाधीन होने के कारण इनके संबंध में कोई भी अंतिम निर्णय लिए जाने तक इन आदेशों एवं इसकी पालना में की गयी समस्त कार्यवाहीयों को आस्थगित किए जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। इसके साथ ही समान प्रकृति के अन्य प्रकरण में जारी कुलसचिव, राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर के पत्र क्रमांक एफ(117)/राजुवास/रजि./संस्था./2016/19 दिनांक 12.01.2016 के संबंध में इसी अनुसार कार्यवाही किए जाने का निर्णय लिया गया। ऐजेण्डा 15/वी के क्रम में जारी आदेश एफ.

2

		(27)राजुवास / रजि. / संस्था / 2015 / 705 दिनांक 21.12.2015 के क्रम में कार्यवाही से पूर्व संकायाध्यक्ष एवं वित्त नियंत्रक स्तर पर यह निर्धारित किया जाएगा कि कौनसा पद किस पद के समकक्ष है। राज्य सरकार के आदेश के क्रम में आगामी बैठक में रिपोर्ट सदन के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। एजेण्डा 15 / एस के क्रम में भी Hard Duty Allowance के लिए कार्यवाही से पूर्व समकक्षता का निर्धारण वित्त नियंत्रक एवं संकायाध्यक्ष स्तर पर किया जाकर रिपोर्ट सदन के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी तत्पश्चात् इस संबंध में लिए गए निर्णय अनुसार कार्यवाही की जावे। (Action Registrar/Comptroller/ Dean, F.C.)
16 / ई	भौतिक एवं वितीय पुनर्मूल्यांकन बैठक दिनांक 26.10.2015 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।	सदन द्वारा एकमत स्वीकार किया गया कि अग्रिम आहरित की गयी राशियों के संबधं में शीघ्र हिसाब प्रस्तुत कर समायोजन करवाया जाना चाहिए। सदन द्वारा सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि वित्त नियंत्रक यथाशीघ्र समायोजन सुनिश्चित करे तथा गत वर्षो में भी यदि इस प्रकार किया गया है तो उनके संबंध में भी समायोजन की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे तथा समायोजन की रिपोर्ट सदन की आगामी बैठक में प्रस्तुत की जावे। (Action Comptroller)
16 / एफ	विश्वविद्यालय का आंतरिक अंकेक्षण नियमित रूप से करवाने बाबत।	A) विश्वविद्यालय के लेखों की C.A. द्वारा अंकेक्षित रिपोर्ट समय पर तैयार नहीं होने पर सदन द्वारा गम्भीरता से लिया गया । कुलसचिव स्तर से भी वित्त नियंत्रक, राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर का पत्र क्रमांक 31 दिनांक 13.01.2016 से लेखों की C.A. से अंकेक्षण करवाकर ऑडिट रिपोर्ट भिजवाने हेतु लिखा गया लेकिन कार्यवाही नहीं हुई। इस संबंध में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि वर्ष 2012–13 की C.A. से अंकेक्षित रिपोर्ट 15 दिवस में प्रस्तुत की जावे तदानुसार 2013–14, 2014–15 व 2015–16 की ऑडिट रिपोर्ट यथाशीध्र / समयानुकूल तैयार की जावे, ताकि विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 की धारा 28(7)(ख) एवं धारा 40 के प्रावधानो की पालना हो सके एवं लोक लेखा समिति के समक्ष पूर्ण पालना रिपोर्ट प्रस्तुत कर ऑडिट आक्षेप समाप्त करवाया जा सके। B) विश्वविद्यालय के लेखों का आंतरिक अंकेक्षण हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर निरीक्षण दल का गठन किया गया है परन्तु इस संबंध मे अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नही हुई है। सदन द्वारा सर्व–सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग से आंतरिक अंकेक्षण करवाये जाने के संबंध में पशुपालन विभाग द्वारा विश्वविद्यालय को प्रेषित पत्रांक प.6(4)पपा / 2015 दिनांक 30.4.2015 के साथ संलग्न वित विभाग अ.टि. क्रमांक प.18(3) वित / अंकेक्षण / 2011 दिनांक 8.4.2015 एवं स्मरण पत्र दिनांक 05.06.2015, 17.08.2015 के क्रम में चाही गयी सूचना वित नियंत्रक स्तर से पशुपालन विभाग को भिजवायी जावे। (Action Comptroller)
16 / जी	सेवारत कर्मचारियों के निधन पर बैंक का बकाया व्यक्तिगत ऋण का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा कर्मचारी के देय परिलाभ में से	सदन द्वारा सर्वसम्मति से इस टिप्पणी के साथ अनुमोदन किया गया कि यह निर्णय केवल सहायक कर्मचारियों के संबंध में लागू होगा इस संबंध में राशि काटकर कोषाधिकारी स्तर पर रेमिटेंश की कार्यवाही की जाएगी। (Action Comptroller)

3

	किये जाने का प्रावधान करने हेतु।	
16/एच	विश्वविद्यालय अशैक्षणिक कर्मचारियों के लिये भ्रमण योजना पर विचार	सदन द्वारा यह जानकारी चाही गयी कि भ्रमण योजना से कर्मचारियों के कौशल का विकास किस प्रकार होगा। इसके अलावा टी.ए./डी.ए. के रूप में विश्वविद्यालय पर वित्तीय भार आएगा जिसके लिए प्रावधान किस प्रकार किया जाएगा अनुमानित व्यय कितना होगा इस निर्णय की क्रियान्विती से कार्मिक को लाभ होगा तथा विश्वविद्यालय पर वित्तीय भार पड़ेगा अतः इस पर राज्य सरकार की अनुमति भी आवश्यक होगी। पूर्ण प्रस्ताव के अभाव में इस बैठक में इस पर निर्णय लिया जाना संभव नहीं है अतः सदन द्वारा सर्व-सम्मति से निर्णय लिया गया कि समस्त सूचनाओं सहित पूर्ण प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे। (Action Registrar/Comptroller)
16/आई	राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर में चल-वैजयंती खेल-कूद प्रतियोगिता प्रतिवर्ष आयोजित किये जाने के संबंध में।	सदन द्वारा यह जानकारी चाही गयी कि खेल-कूद प्रतियोगिताओं के आयोजन के संबंध में वित्तीय व्यवस्था/प्रावधान किस प्रकार होगा तथा कितना अनुमानित खर्चा आएगा ? प्रतियोगिता के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए जाएगे ? अन्य विश्वविद्यालयों में इस संबंध में क्या प्रावधान किए गए है ? इन जानकारियों के आभाव में इस बैठक में इस पर निर्णय लिया जाना संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त इसकी क्रियान्विती से विश्वविद्यालय पर वित्तीय भार पड़ेगा अतः सरकार की स्वीकृति भी प्राप्त की जानी होगी। अतः पूर्ण सूचनाओं सहित आगामी बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने का निर्णय सर्वसम्मति में लिया गया। (Action Comptroller/Dean & F.C.)
16/जे	मै. विनायक ऑरगेनिक डेयरी फार्म, बीछवाल के पत्र दिनांक 11.03.2016 पर विचार।	सदन के सभी सदस्यों द्वारा इस संबंध में सहमति व्यक्त की गयी की Under the Technical Guidance from RAJUVAS शब्द का व्यापक अर्थ है। इस संबंध में वर्तमान में विश्वविद्यालय द्वारा कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं किए गए है न ही Technical Guidance शब्द को पारिभाषित किया गया। इसके आभाव में इस स्वीकृति का दुरूपयोग किया जा सकता है। अतः व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए सर्वसम्मति से ऐसी स्वीकृत नहीं दिए जाने का निर्णय लिया गया। (Action Registrar)
16/के	महात्मा गांधी वेटरनरी महाविद्यालय, भरतपुर के शिकायत प्रकरण पर विचारण।	सदन ने निजी महाविद्यालयों द्वारा छात्रों से मनमानी फीस वसूल किए जाने की प्रवृति पर एवं बिना सक्षम अनुमति प्राप्त किए छात्रों को महाविद्यालय में प्रवेश दिए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की गयी। विश्वविद्यालय को उच्च स्तर से प्राप्त शिकायत प्रार्थना पत्र में निजी महाविद्यालय द्वारा छात्रों से मनमानी फीस वसूली की शिकायत की गयी। शिकायत में वर्णित तथ्यों के संबंध में जॉच हेतु विश्वविद्यालय स्तर से गठित समिती द्वारा प्रस्तुत जॉच रिपोर्ट अनुसार शिकायत प्रस्तुत करने उपरान्त छात्रों को पैसे लौटाए गए। सदन द्वारा महाविद्यालय के इस जवाब को स्वीकार नहीं किया गया कि पैसे ट्रस्ट द्वारा लिए गए। सदन द्वारा एकमत से यह स्वीकार किया गया कि महाविद्यालय को ट्रस्ट से अलग नहीं माना जा सकता क्योंकि महाविद्यालय पर पूर्णतः प्रशासनिक नियंत्रण ट्रस्ट का है। महाविद्यालय को 2015-16 के लिए अस्थायी संबद्धता की समयावधि में वृद्धि नहीं की गयी है अतः सदन द्वारा Guidelines for affiliation of Private Veterinary Colleges के

		प्रावधानों अनुसार महाविद्यालय पर 20 लाख रूपये शास्ति लगाये जाने का निर्णय लिया तथा शास्ति की राशि जमा होने पर ही अस्थायी संबद्धता की समयावधि में वृद्धि किए जाने पर विचार करने का निर्णय लिया गया। (Action Registrar)
16/एल	प्रिंस बिजय सिंह जी की कांस्य प्रतिमा स्थापित किये जाने के संबंध में विचार करने हेतु।	सदन द्वारा विजय भवन परिसर में प्रिंस बिजय सिंह जी की मूर्ति स्थापित किए जाने के प्रस्ताव का स्वागत किया गया। महाराजा गंगासिंह ट्रस्ट की अध्यक्ष प्रिंसेज राजश्री कुमारी द्वारा बिजय भवन परिसर में ट्रस्ट के खर्च पर प्रिंस बिजय सिंह जी की मूर्ति स्थापित करने का प्रस्ताव प्रेषित किया गया। मूर्ति स्थापित करने संबंधी प्रकरणों में निर्णय लेने का अधिकार राज्य सरकार में निहीत है अतः सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि बिजय भवन परिसर में मूर्ति स्थापित करने हेतु राज्य सरकार को पूर्ण प्रस्ताव प्रेषित कर मूर्ति स्थापित करने की स्वीकृत प्राप्त करने उपरान्त मूर्ति स्थापित की जावे। (Action Registrar)
16/एम	अन्य कोई एजेण्डा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।	परीक्षा नियंत्रक, राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा शैक्षणिक परिषद की बैठक दिनांक 27.08.2015 के एजेण्डा 09/16 की पालना में विश्वविद्यालय परीक्षाओं के दौरान अपनाए जाने वाले अनुचित साधनों एवं अव्यवस्थित (Disorderly) आचरण अपनाए जाने के विरूद्ध कार्यवाही के संबंध में नियम निर्मित कर प्रस्तुत किए गए सार रूप में सदन को नियमों में वर्णित प्रावधानों से अवगत करवाया तथा नियम निर्मित करने की आवश्यकता पर सदन के समक्ष प्रकाश डाला गया। सदन द्वारा सर्वसम्मति से नियमों का अनुमोदन किया गया। (Action Registrar/Controller of Examination)
16/एन	ए.एच.डी.पी. परीक्षा स्वयं के स्तर पर करवाने हेतु परीक्षा नियंत्रक, राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा प्रस्तुत कार्य पद्धति का अनुमोदन।	शैक्षणिक परिषद की बैठक दिनांक 27.08.2015 के एजेण्डा सं. 09/5 (प्रस्ताव सं. 02) के क्रम में परीक्षा नियंत्रक, राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा दो वर्षीय पशुधन सहायक डिप्लोमा पाठ्यक्रम की परीक्षायें हेतु Field Veterinarians की सेवाएं लेने के स्थान स्वयं के स्तर पर परीक्षाएं करवाने के संबंध में कार्य पद्धति प्रस्तुत की गयी जिस पर विचार–विमर्श किया गया। सदन द्वारा सर्व–सम्मति से परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रस्तुत कार्य पद्धति का अनुमोदन किया गया। (Action Registrar/Dean & F.C./Controller of Examination)

माननीय सदस्य श्री अमित नैन द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति के क्रम में भर्ती प्रक्रिया को गति प्रदान करने तथा विश्वविद्यालय के सुरक्षा व्यवस्था को अधिक सुदृढ बनाने का मुद्दा सदन ने उठाया गया जिस पर सदन में विचार–विमर्श अवश्य हुआ लेकिन इनके संबंध में कोई अन्तिम निर्णय नहीं हो सका।

बैठक माननीय अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ सम्पन्न हुई।

(पी.एस. बिश्नोई)
कुलसचिव
18/5/16

Annexture-I

1	Prof. (Dr.) A.K. Gahlot, Hon'ble Vice-Chancellor, RAJUVAS, Bikaner	In Chair
2	Sh. Rajendra ji Bhadoo, M.L.A., Suratgarh	Member
3	Dr. Amit Nain, Village Bodiwala Pitha, P.O. Khui-Khera, Teh & Distt. Fazilka (Punjab) – 152123	Member
4	Sh. Balram Saharan, Gram Dhaba, Suratgarh	Member
5	Dr. Tribhuwan Sharma, Dean & F.C., CVAS, Bikaner	Member
6	Dr. A.P. Singh, Director, P.M.E., RAJUVAS, Bikaner	Member
7	Sh. J.S. Bhatia, Former ADC Edu. ICAR, New Dehli	Member
8	Smt. Kamna Choudhary, Advocate, Choudhary Sadan, Sadul Ganj, Bikaner	Member
9	Sh. R.K. Suthar, M.D. Urmul Dairy	Ex.Officio
10	Sh. Arvind Bishnoi, Comptroller, RAJUVAS, Bikaner	Invitee
11	Dr. G.S. Manohr, Dean, P.G.S., RAJUVAS, Bikaner	Invitee
12	Dr. S.K. Kashyap, D.S.W., RAJUVAS, Bikaner	Invitee
13	Dr. Anil Ahuja, Director, Clinic, RAJUVAS, Bikaner	Invitee
14	Sh. Anil Kumar, O.S.D. to V.C., RAJUVAS, Bikaner	Invitee
15	Dr. R.K. Dhuria, Director, Ext. Edu., RAJUVAS, Bikaner	Invitee
16	Dr. S.S. Soni, Controller of Examination, RAJUVAS, Bikaner	Invitee
17	Er. B.K. Acharya, Director, Works (E.O.), RAJUVAS, Bikaner	Invitee
18	Sh. D.C. Saxena, P.R.O. RAJUVAS, Bikaner	Invitee
19	Sh. P.S. Bishnoi, Registrar, RAJUVAS, Bikaner	Member Sec.